उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-20/2015/317(2)/60-3-2015-13(11)/2014टीसी-2

लखनऊ:: दिनांक:: 25 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

इस अनुभाग की अधिसूचना संख्या-255/60-3-2015 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 तथा अधिसूचना संख्या-317/60-3-2015 दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015 निर्गत की गयी है। क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट संख्या-13 वर्ष 2013 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 में धारा 326ए जोड़ी गयी तथा उसे दिनांक 03.02.2013 से प्रभावी किया गया, जिसके अन्तर्गत एसिड अटैक को दण्डनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। कोष नियमावली (प्रथम संशोधन) 2015 के अनुक्रम में दिनांक 03.02.2013 के पश्चात तथा इस नियमावली के लागू होने की पूर्व की अवधि मे पंजीकृत एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िता को आर्थिक सहायता एवं नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित व्यवस्था को एतदद्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है :-

(1) नियमावली के नियम-1 (2) के परन्तुक में विहित प्राविधान के अनुसार एसिड अटैक के प्रकरणों हेतु पूर्वगामी तिथि दिनांक 03.02.2013 नियत की जाती है।

(2) नियमावली में आर्थिक एवं नि:शुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु विहित प्रक्रिया को शिथिल करते हुए पूर्वगामी अवधि दिनांक 03.02.2013 से इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व थानों मे पंजीकृत एसिड अटैक के प्रकरणो में राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन/स्वीकृति से, पीड़िता को चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, तथा पीड़िता को नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जायेगी।

रेणुका कुमार

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-317(3)/60-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।
6. कोष कार्यालय को कोष की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कम्प्यूटर सेल, महिला कल्याण निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।